न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

प्र0 न0 51 / 19 तारीखरजू:- 19/7/19

उनवान:– दानसिंह बनाम जसराम वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
19/7/19	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 16/8/19 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 334/0.64, 335/0.65, 402/0.19, 403/0.21, 414/0.50, 415/0.40, 416/0.30, 417/0.28 कुल किता 8 कुल रकवा 3.17 है0 ग्राम भादौली तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी तक मोके की यथास्थिति बनाये रखने व सायलान के कब्जे काश्त मे मजाहमत पैदा नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16.08.2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

2790-92
19/7/19

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

03-03-2020

वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वर्णित आराजीयात में वादिया हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार है, हिस्सानुसार कब्जा काश्त है। गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया के कब्जे काश्त की आराजी में व्यवधान नहीं करें। वकील गैरसायलान जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सायल नं. 2 ता 9 के पिता गिरजि ने रकबा 2.05 में अपना हिस्सा की आराजी का गैरसायलान नं. 1 को बेचान का कब्जा करा दिया है सायलान का कब्जा काश्त ही नहीं है इस जमीन को लेकर थाना बालघाट में भी मुकदमा दर्ज हो रहे है सायल की रिपोर्ट पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश से एफ० आर० भी लग चुकी है विवादित आराजीयात पर सायलान का कब्जा काश्त ही नहीं है सायलान का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2076-79 के खाता नम्बर 12 में दर्ज ख०नं. 334/0.64, 335/0.65, 402/0.19, 403/0.21, 414/0.50, 415/0.40, 416/0.30, 417/0.28, कुल किता 8 कुल रकबा 3.17 हे० में सायल नं. 1 दानसिंह s/o गंगाधर के नाम हिस्सा 1/4 सायल नं. 2 ता 9 के पिता व पति गिरजि s/o गंगाधर के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है गैरसायलान के नाम भूमि दर्ज रिकार्ड नहीं है। जहाँ तक गिरजि द्वारा अपना हिस्सा विक्रय किये का प्रश्न है उसका निर्णय मूलवाद में साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर किया जाना संभव होगा। मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को रिकार्ड एवं

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
	मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित पाता हूं। अतः उभय पक्षकारों को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम भादौली की भूमि खसरा नम्बर 334/0.64, 335/0.65, 402/0.19, 403/0.21 414/0.50, 415/0.40, 416/0.30, 417/0.28 कुल किता 8 कुल रकबा 3.17 हैक्टेयर में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3.3.20 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। 03/3/2020 (दुर्गा प्रसाद मीना) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.07.30 11:55:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: